

19/02/2020

पुत्रावली पेश हुई। कमील वाडी शाजि  
कधी / कमील वाडी को रुक-रुक  
आवनें लगाने गयी। शाजि कधी को  
स्वयं वाडी भी अनुपस्थित हैं। लिहाजा

P.T.O.

ख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

बाड वाडी वकील वाडी श्री अरुण दा-अरुण-अरुण  
पेवरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली  
जो हल मे शुभार होकर दाखिल फताहदी

रुप खण्ड अधिकारी (राजस)  
रायसिंहनगर